दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 25-07-2025

फैसला • दुबई में रहने वाले पिता ने मां के साथ रह रहे बच्चे की कस्टडी के लिए लगाई थी याचिका

मां को मिली बेटे की कस्टडी, हाई कोर्ट बोला- बच्चा चाहे मां के पास रहे या पिता के, उसे दोनों का स्नेह और प्यार मिलना चाहिए

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

नाबालिग बच्चे की कस्टडी की मांग करते हुए दुबई में रहने वाले पिता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने मां को बच्चे की कस्टडी सौंपी हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे का मां के साथ रहना उसके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए जरूरी है। पिता को वीडियो कॉल व छुट्टियों में बेटे से मिलने का अधिकार दिया गया है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा कि- बच्चा चाहे मां के पास रहे या पिता के, लेकिन उसे दोनों का प्यार मिलना चाहिए। बच्चे के कल्याण से बढ़कर कोई कानून नहीं हो सकता।

भिलाई निवासी मुस्लिम व्यक्ति की शादी मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। दंपती के दो बच्चे हुए। बेटे का जन्म 2017 और बेटी का जन्म 2021 में हुई थी। पति दुबई में रहता है, जबकि पत्नी कुछ समय तक बच्चों के साथ रहने के बाद अपने मायके लौट गई। बेटा रायपुर में दादा- दादी के साथ रहता था, जबकि बेटी मां के साथ रहती थी। इधर, पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। उस पर काला जादू करने के आरोप लगाए गए और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। बेटे को जबरन छीन लिया गया और मां-बेटे का संबंध तोड़ने की कोशिश की गई। महिला ने फैमिली कोर्ट में मामला प्रस्तुत कर कहा कि उसके साथ नहीं रहने के कारण बेटे का मानसिक और भावनात्मक विकास नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए उसे बेटे की कस्टडी दी जाए। फैमिली कोर्ट ने मां को बेटे की कस्टडी दी थी, इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

मानसिक- भावनात्मक विकास के लिए मां जरूरी: कोर्ट

पति ने कहा- बेटे को खुद छोड़ा, अब वापस मांग रही

वहीं पति ने दावा किया कि पत्नी ने बेटे को खुद ससुराल में छोड़ दिया था और अब उसे मांग रही है। यह भी कहा कि बेटा दादा-दादी के पास पूरी तरह सुरक्षित है और उसका पालन-पोषण ठीक से हो रहा है। दावा किया कि कभी बेटे से मिलने की कोशिश नहीं की।

मां की ममता से वंचित करना बच्चे के हित में नहीं: हाई कोर्ट

हाई कोर्ट ने माना कि बेटे की उम्र और मानसिक विकास के लिए मां का साथ बेहद आवश्यक है। बेटा अभी नाबालिग है और उसकी प्राथमिक देखभाल मां को ही करनी चाहिए। यह भी कहा कि भले ही कुछ समय तक बेटा दादा-दादी के पास रहा हो, लेकिन मां की ममता से वंचित हित में नहीं है।

वीडियो कॉल और छुट्टियों में मिल सकेंगे पिता

हाई कोर्ट ने पिता को हर शनिवार और रविवार को वीडियो कॉल के माध्यम से बेटे से बात करने की छूट दी है। इसके साथ ही रमजान, ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि प्रमुख मुस्लिम त्योहारों में बच्चों से मिलने की भी छूट दी गई।